हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2018

संख्या वैब 60/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा.59/2018. - संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट गोव डॉट इन पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् राज्य सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी, तथा अन्तिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगाः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,–

1. अनुसूची क में,–

(i) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्र म संख्या 3 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र म संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"3 क	विमानन टरबाईन ईंधन प्रविष्टि 7 और 3 ख के अध्यधीन।	20%" ;

(ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"3 ख	विमानन टरबाईन ईंधन जब अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के लिए, इस शर्त के अध्यधीन कि विक्रेता व्यापारी नीचे दिए गए और सम्यक् रुप से भरे गए तथा क्षेत्रीय संयोजकता योजना के उड़ान आपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित प्ररुप के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डों (सरकार द्वारा यथा अधिसूचित) पर क्षेत्रीय संयोजकता योजना (आर.सी.एस.) यू.डी.ए.एन. उड़ानों को बेचा गया हो ।	1%" ;

क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डों पर विमानन टरबाईन ईंधन के क्रय के लिए प्रमाणपत्र

क्रम संख्या____

प्रमाणित किया जाता है कि विमानन टरबाईन ईंधन (ए0टी0एफ0) जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है **(विमानन टरबाईन ईंधन बेचने वाले व्यवहारी का नाम)** **(क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डे का नाम)** हवाई अड्डे पर **(एयरलाईन का नाम)** क्षेत्रीय संयोजकता योजना उड़ान संख्या____________जाने वाली है, से क्रय किया गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या	दिनांक	मात्रा	मूल्य

दिनांक

एयरलाईन के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

एयरलाईन के प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम

*एक प्रमाणपत्र में केवल एक तिमाही के क्रय ब्यौरे अन्तर्विष्ट होगें।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 27th June, 2018

No. Web. 60/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2018. - The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule A appended to said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web site www.haryanatax.gov.in together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified and shall take effect with effect from date of final notification:-

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule A,-

(i) under columns 1, 2 and 3, for serial number 3A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3A	Aviation Turbine Fuel subject to entry 7 and 3B	20 %";

(ii) under columns 1, 2 and 3, after serial number 3A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3
"3B	Aviation Turbine Fuel when sold to Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN Flights at RCS Airports (as notified by Government) for three years from the date of publication of notification, subject to the condition that the selling dealer shall furnish a certificate in the format given below duly filled and signed by the authorised person of the RCS Flight Operator	1 %";

CERTIFICATE FOR PURCHASE OF ATF AT RCS AIRPORT

Sr. No.____

Certified that Aviation Turbine Fuel (ATF) as detailed below has been purchased from the __**(Name of the dealer selling Aviation Turbine Fuel)**____ at RCS airport ___**(Name of the RCS airport)**__ for the RCS Flight __**(Name of Airlines)**__ Bearing No.__________ leaving for ___________.

Sr. No.	Invoice No.	Date	Quantity	Amount

Date: Signature of Authorised Officer of the Airlines ....

Name and designation of Authorised Officer of the Airlines ....

*One certificate shall contain purchases details of one quarter only.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department